फाइल नं0-71-1001/10/2020

141/2023/I/411127/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 19 अक्टूॅबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के पत्र संख्या-607/भवन/सूचना/2023, दिनांक 22.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत (अंतिम किश्त) की धनराशि रू0 2017.81 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-203/2018/2333/71-1-2018-जी-89/2006, दिनांक 13.07.2018 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 40356.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 40356.19 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा रू0 38338.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-57- पैरा मेडिकल कालेज, झांसी 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु 05 प्रतिशत के रूप में रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि कार्यपूर्ति, गुणवत्ता, बिल्डिग हस्तान्तरण आदि की समस्त जिम्मेदारी निदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी हेतु 05 प्रतिशत के रूप में अवशेष धनराशि रू0 817.81 लाख की बजट व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
5. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. शासनादेश संख्या-203/2018/2333/71-1-2018-जी-89/2006, दिनांक 13.07.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055700 पैरा मेडिकल कालेज, झांसी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in